



Neutral Citation No.- 2026:AHC:15658

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-18199 वर्ष 2025

लवकुश

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: चंद्र दत्त, शारिक अहमद

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, विजय कुमार श्रीवास्तव, योगेश कृष्ण मिश्रा

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है। आज दायर किए गए प्रत्युत्तर हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री शारिक अहमद, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री योगेश कृष्ण मिश्रा, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आरपी पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या-297 वर्ष 2024, धारा 147, 328, 302, 420, 467, 120बी, 504, 506 भ०द०वि०, थाना-महाराजपुर, ज़िला: कानपुर नगर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को केवल संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है, क्योंकि मृत व्यक्ति एक अविवाहित व्यक्ति था; इसके अलावा, वह बहरा और गूंगा था, इस तरह, वह न तो बात कर सकता था और न ही वह कुछ सुन सकता था। उक्त आरोप अपने आप में झूठे हैं, क्योंकि सूचनाकर्ता द्वारा दायर धारा 156(3) द०प्र०स० के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, सूचनाकर्ता द्वारा एक संशोधन दायर किया गया था, और उक्त संशोधन को भी खारिज कर दिया गया था। उक्त अभ्यास को फिर से दोहराया गया, और इस बीच, विसरा रिपोर्ट प्राप्त हुई, और इस प्रकार, धारा 156(3) द०प्र०स० के तहत दायर तीसरे आवेदन को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई, और आवेदक को तलब किया गया। वह मुकदमे का सामना कर रहा है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्राथमिकी में लगभग तीन साल की देरी हुई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 13.12.2024 से जेल में बंद है, इस प्रकार कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. सूचनाकर्ता और महालेखा परीक्षक के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि स्वतंत्र गवाह श्याम सिंह और मृतक के मामा अरुण कुमार कुशवाहा के बयानों में यह बात सामने आई है कि उन्होंने मृतक व्यक्ति का चेहरा नीला पाया है, जो इंगित करता है कि उसे जबरन कुछ जहरीली सामग्री दी गई थी।

7. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृत्यु के कारण का पता नहीं लगाया जा सका है, और विसरा को संरक्षित किया गया था और उसमें ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक जहर पाया गया था। इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी की स्थापना में देरी को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आज तक केवल आरोप तय किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक- लवकुश, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 21, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)